रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2217] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940
No. 2217] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

का.आ. 2950(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2941(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 6 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए;

और, खिजादिया पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर जामनगर जिले में 22°32' उ, 70° 08' पू में स्थित एक अनूठी भूमिगत पर्यावरण-व्यवस्था है; अभयारण्य में दो ताजे पानी की झीलें (उद्धार बांध) 0.0605 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में है; यह क्षेत्र दोनों खंडों में एक पक्की मातृभूमि बांध की खाड़ी से अलग है; दोनों झीलें परस्पर सम्बन्धित नहीं है क्योंकि वे एक-दूसरे से थोड़ा दूर हैं; चूंकि ये झील कच्छ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की खाड़ी से सटे हैं, इस क्षेत्र में सूक्ष्म और मैक्रो जीवजन्तु और वनस्पतियों के मीठे पानी, समुद्री और एस्टुअरीन प्रजाति पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र में 250 से ज्यादा प्रजाति पक्षियों और अभयारण्य में कई अन्य प्रादेशिक जीवों को आकर्षित करते हैं;

और, यह क्षेत्र एक समुद्री तट था और जामनगर जिले में खिजादिया, जंबुडा और धुनवव ग्रामों की दलदली राजस्व अपशिष्ट भूमि थी; लवणता को रोकने के लिए और भूमि के पुनरुद्धार के लिए पूर्ववर्ती नवनगर राज्य और बाद में गुजरात सरकार ने तट पर एक उद्धार बांध का निर्माण किया, जो अतीत में मीठे पानी के बड़े तालाब की प्रचलित स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन और सुधार के लिए उभरा है; यह विभिन्न प्राकृतिक जलीय वनस्पतियों का समर्थन करता है जो बदले में इस क्षेत्र में कई प्रवासी और निवासी पक्षियों का समर्थन करता है और यह उनके बसेरे और घोंसले के लिए भी उपयुक्त है;

और, खिजादिया पक्षी अभयारण्य के महत्वपूर्ण जड़ी बूटी कमल, पोयाना (*निम्फेया स्टालाटा*), दारुडी (*अरगेमोना साक्सीकैना*), घंदहतु, ढोली तलवानी (*क्लियोम ज्ञानेंद्र*), पिली तिलवन (*क्लेम विस्कोस*), मोती लुनी, लखा लुनी (*पोर्तुलाका ओलेसी*), गैन्थियू (*बोरेरिया स्ट्रीकटा*), परपत (*ओल्डनलैंडिया एसपी.*), शूलियो, उथेंटो (*एचिनोप्स इचिनाटस*), भांग्रो (*एक्लीप्टा प्रोस्टेट*), मोती (*लुनेआ प्रकोम्बेंस*), उभू गोखरु (*पेडलियम मुरेक्स*), हरंचारो, पनिरू (*लेपिदागथिस ट्रिनेरिस*) आदि हैं। जबकि खिजादिया पक्षी अभयारण्य के पर्वतरोही वेवाडी (*कोकुलस हिर्सुटस*), वालूर, परवाट्टी (*कोकुलस पेंडुलस*), गैलो (*टिनसपोरा कॉर्डिफोलिया*), खट-खतुम्बो (*कैरेटिया कार्नोसा*) और कपलफोडी (*कार्डियोस्पर्मम हेलिकाकबस*), आदि अभिलिखित हैं।

और, विभिन्न मछली प्रजातियां जैसे पपफिश (*साइप्रिनोडोन डिसपार*), थ्रेड फिन (*पोलिनेमस टेट्रैडैक्टिलस*), मड स्किपर (*बोलोफथैमस डैंटैटस*), मुलेट (*मुगिल कैरिनाटस*) और मुललेट (*मगिल ओलिगोलेपिस*) आदि भी अभयारण्य में पाए जाते हैं;

और, खिजादिया के आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी-प्रणाली, पालाकरेटिक क्षेत्र से प्रवासी जलप्रवाह के लिए एक शरद का मैदान है और आर्द्र पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण सर्दी और प्रजनन मैदान के रूप में कार्य करता है और इस अभयारण्य में भारत के एक असामान्य ब्रीडर, ग्रेट क्रस्टेड ग्रेबे, (*पोडिसिप्स क्रिस्टटस*), ब्लैक-नेक्ड ग्रेबे (*पॉडिसप्स निग्रिकोलिस*), ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबे (*पॉडिसप्स क्रिस्टेटस*), लिटिल ग्रेबे (*टैचिबैप्टस रूफिकोलिस*), डाल्मेटियन पेलिकन (*पेलेकनस क्रिस्पस*) और ग्रेट व्हाइट पेलिकन (*पेलेकनस ऑनोकोटेलस*), ग्लॉसी इबिस (*पलेगाडीस फाल्सीनेलस*), यूरेशियन स्पूनबिल (*प्लेटला ल्यूकोरोडिया*), ग्रेटर फ्लेमिंगो (*फीनिकोप्टेरस रूबर*), लेसर फ्लेमिंगो (*फीनिकोप्टेरस माइनर*), कॉम्ब डक (*सर्किडियोरिस मेलेनोटोस*), यूरूसियन मार्श हैरियर (*सर्कस एरुगिनोसस*), यूर्ससियन स्पैरो हॉक (*एक्सीसिटर निसस*), ओरिएंटल हनी बज़र्ड (*पर्निस पिलोरिंचस*), ओस्प्रे (*पांडियन हेलिएटस*), शिकरा (एसिस्पिटर कॉलर प्रेटिनकोले (*ग्लैरोला प्रेटिनकोला*), स्मॉल प्रेटिनकोला (*ग्लैरोला लैक्टियल*), ब्लैक-हेड गुल (*लार्स रीडिबुंडस*), यूरेशियन कूकू (*क्यूकुलस कैनोरस*), पाइड कूकू (*क्लैमरेटर जैकोबिनस*), एशियन कोयल (*युडमिनिसिस स्कॉल्पेसिया*), ग्रेटर कुकल (*सेंट्रोपस सीनेन्सिस*), सिरकेर माल्कोहा (*फाइनोफेकियस लेसचेनेंल्टि*), ग्रेटर शॉर्ट-टूड लार्क (*कैलंड्रेला ब्राचैडैक्टिला*), इंडियन बुश लार्क (*मिराफ्रा एरिथ्रोपटेरा*), राफस-टेल्ड लार्क (*कैलंड्रेला देवा*), सैण्ड लार्क (*कैलंड्रेला रेताल*), ओरिएंटल स्काई लार्क (*अलाउडा गुलगुला*), कॉमन बाबलर (*टर्डोइड्स कैडैटस*), इंडियन रॉबिन (*सैक्सिकोलाइड्स फुलिकाटा कैम्बैनेसिस*), ओरिएंटल मैग्पी रॉबिन (*कॉप्सिचस साउलेरिस*), डीसर्ट व्हीटर (ओनेंथे डीसर्ट), इसाबेलिन व्हीटेयर (*ओनेंथे इसाबेलिना*), आदि के प्रजनन की सूचना है;

और, खिजादिया पक्षी अभयारण्य में विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में डालमेटियन पेलिकन (*पेलेकनस क्रिस्पस*), डार्टर (*अनिंगा मेलानोग्स्टर*), पेंटेड स्टोर्क (*माईक्टेरिया लियूकोसेफाला*), ब्लैक-नेकड स्टॉर्क (*एफिपियोरिंचस एशियनैटस*) और ब्लैक-हेडेड इबिस (*थ्रेसकीर्निस मेलानोसेफलस*) आदि हैं;

और, 1956 में नवनगर के शाही राज्य और गुजरात सरकार द्वारा खिजादिया उद्धार बांध का निर्माण किया गया था और इस जीवनयुक्त और कई प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए क्षेत्र के महत्व को जानने पर गुजरात सरकार ने इस क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना सं. एकेएच-81-डब्ल्यूएलपी-1081-102123/पी-2 तारीख 27 मई, 1981 और एकेएच-209/82-डब्ल्यूएलपी/1081/102123-वी-2 तारीख 6 नवंबर, 1982 के रूप में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया;

और, खिजादिया पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा आवासीय प्रबंधन द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के सुधार एवं संरक्षण स्थानीय प्रजातियों को पुन: प्रवेश और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से; पर्यावरणीय शिक्षा और पारिस्थितिकी अनुसंधान को बढ़ावा देकर उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों की श्रेणियों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करणों को प्रतिषिद्ध करके पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से खिजादिया पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में खिजादिया पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को खिजादिया पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन, खिजादिया पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के विस्तार के साथ 16.6119 वर्ग किलोमीटर के परिधि क्षेत्र का होगा |

(2) खिजादिया पक्षी अभयारण्य का सीमा विवरण और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन **उपाबंध I** में दिया गया है |

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और सीमा विवरण **उपाबंध II क, उपाबंध II ख** और **उपाबंध II ग** के रूप में संलग्न है ।

(4) खिजादिया पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक सारणी ख और सारणी ख में **उपाबंध III** के रूप में दिया गया है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है |

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना निम्नलिखित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल

निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी और साथ ही स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित तथा अभिवृद्धि करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिक अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने मानीटरी के कृत्यों का पालन करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**.—राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और आमोद-प्रमोद प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित खुले स्थानों को वाणिज्यिक या आवासीय परिसर या औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या उनके लिए क्षेत्रों में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगाः

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा जिससे स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अन्य क्रियाकलापों हेतु जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारी जाएगी और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण और आवासीय प्रत्यावर्तन क्रियाकलापों सहित पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और कायाकल्प के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के बारे में ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**.—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) खिजादिया पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट के निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत —** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और इनके परिरक्षण और संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के एक भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य सौंदर्यता और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और प्राचारों की पहचान करनी होगी और इनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के एक भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** — पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों को जो भी कड़ा हो के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किया जाएगा ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण, अन्यथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियाँ
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) नए (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवायं वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में की जाएगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए उद्योग और विद्यमान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा जब तक की इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो। इसके अलावा गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की अभिवृद्धि की जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहि:स्त्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये

		वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी भूमि में अपने उपयोग के साथ-साथ भवन उपविधियों के पैरा 3 के उप पैरा (1) के अनुसार स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचीबद्ध क्रियाकलापों हेतु संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी 2016 में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषणकारी उद्योगों और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि या उद्यान कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों को बिछाना तथा अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	न्यूनीकरण के उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण के उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
16.	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे अन्य पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, दुग्ध कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
20.	फर्मों, कंपनियों, आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट या बहि:स्त्रावों का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहि:स्त्रावों के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएँगें। और, लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल या बहि:स्त्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुआँ, बोर कुआँ, आदि कृषि और अन्य उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा मानीटरी किया जाएगा।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	मानीटरी समिति के सदस्य	पद
1.	कलेक्टर, जामनगर जिला	अध्यक्ष;
2.	शहरी विकास विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	पत्तन और परिवहन विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का गुजरात सरकार द्वारा (तीन वर्ष की अवधि के लिए) नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	गुजरात सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य;
7.	पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	संबंधित उप-वनसंरक्षक, जामनगर	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश शर्तें

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित निर्देशन पत्र/प्रोफार्मा के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक को उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय- इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. सुप्रीम कोर्ट, आदि आदेश—इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/90/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

खिजादिया पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर: ग्राम धुनवाव की सर्वेक्षण संख्या 159, 160, 161, 41, 34, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 212pt, 340, 342, 345, 346, 347, 348, 334, 330, 329, 328, 327 ग्राम जमबुदा की सर्वेक्षण संख्या 51, 52, 73, 72, 70, 83 ग्राम खिजादिया बर्ड की सर्वेक्षण संख्या 136, 132, 122, 140, 139, 143पीटी, 5, 7, 147, 148, 149, 150,रस्टो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ग्राम संरचना की सर्वेक्षण संख्या 142,37, सड़क जामनगर जिले के तालुक में विभापर ग्राम की ओर ग्राम जामनगर की सीमा।

पूर्व: ग्राम धुनवाव की ओर ग्राम खिजादिया बर्ड की सीमा और सर्वेक्षण सं 349, 350, 351, 353, 358, 359, 367, 368 जमबुदा की सर्वेक्षण संख्या 85, 82, 86, 150, 151, 152, 18, 26, 11, 10, 8, 7, 339, 338, 330, 336, 333, 317, 316, 314 ग्राम खिजादिया बर्ड की सर्वेक्षण संख्या. 27, 28, 29, 50 पीटी ग्राम सचना की सर्वेक्षण संख्या. 70, 69, 73, 66 जामनगर जिले के जामनगर तालुक में विभापुर ग्राम की ओर ग्राम जामनगर और धुनवाव की सीमा।

दक्षिण: ग्राम धुनवाव की सर्वेक्षण संख्या 368, 367, 366, 360, 356, 292, 306, 307, नदी, 218, 219, 26, 25, 24, 67, 72, 73, 48, 161, 124, 123, 125, 142, 144, 140 ग्राम जमबुदा की सर्वेक्षण संख्या 314, 263, 261, 269, 270, 271, 288, 286 ग्राम खिजादिया बर्ड की सर्वेक्षण संख्या 129, 104, 127, 110, 111, 116, 37, 39, 38, 35, 34, 45, 44, 49, 152, 65, 66, 63, 62, 59 सचना ग्राम की ओर ग्राम जमबुदा की सर्वेक्षण संख्या65, 66, 64, 63 सीमा जामनगर जिले के जामनगर तालुक में विभापुर ग्राम की ओर ग्राम जामनगर की सीमा।

पश्चिम: धुनवाद ग्राम की ओर: जामनगर शहर की सीमा जमबुदा ग्राम की ग्राम जमबुदा; खिजादिया बर्ड और सचना की तटीय सीमा खिजादिया बर्ड ग्राम की ओर ग्राम धुनवाद की सीमा ग्राम विभापार ग्राम, जामनगर जिला जामनगर की सर्वेक्षण संख्या. 131, 132, 133, 123, 124, वोकलो, 105।

उपाबंध II-क

खिजादिया पक्षी अभयारण्य का जिला सीमा के साथ स्थान मानचित्र

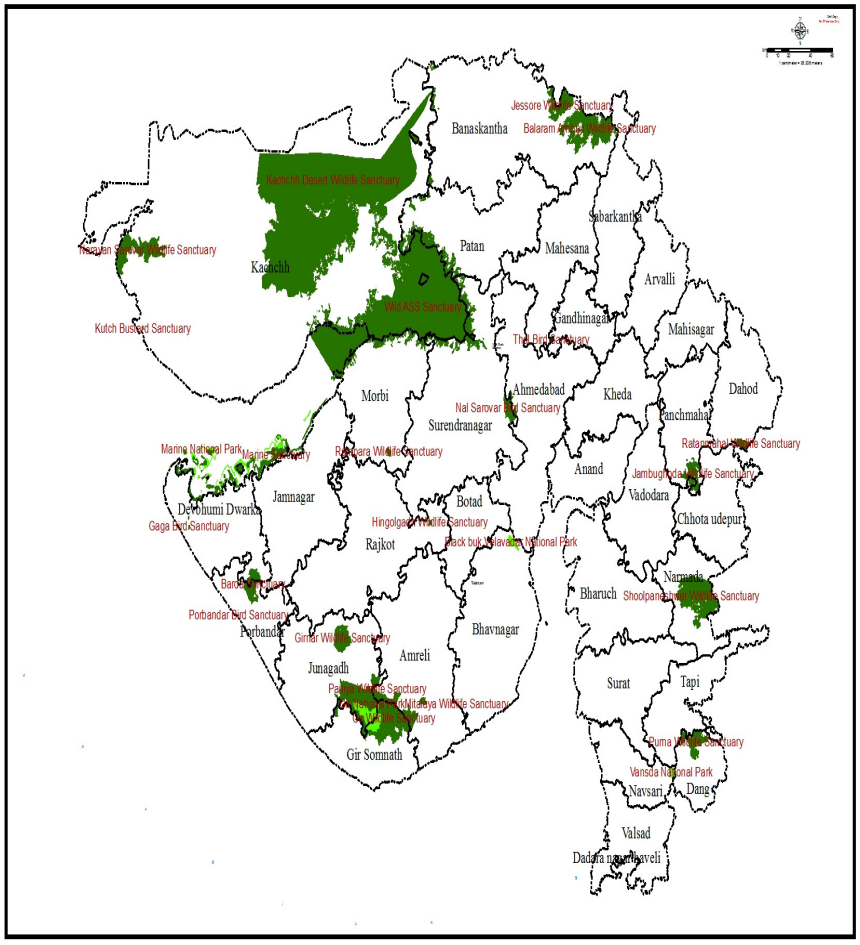

उपाबंध II-ख

खिजादिया पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के 10 किलोमीटर बफर के साथ मानचित्र

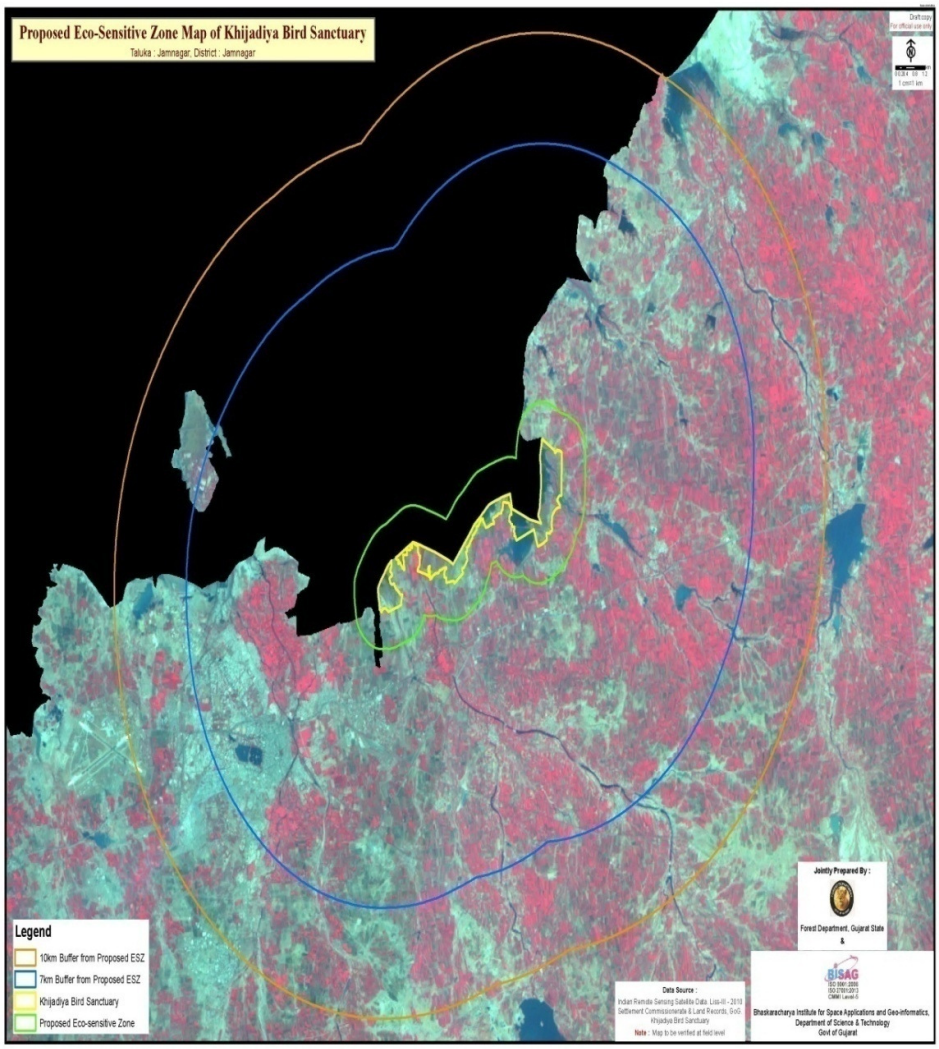

उपाबंध –IIग

खिजादिया पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भू उपयोग मानचित्र

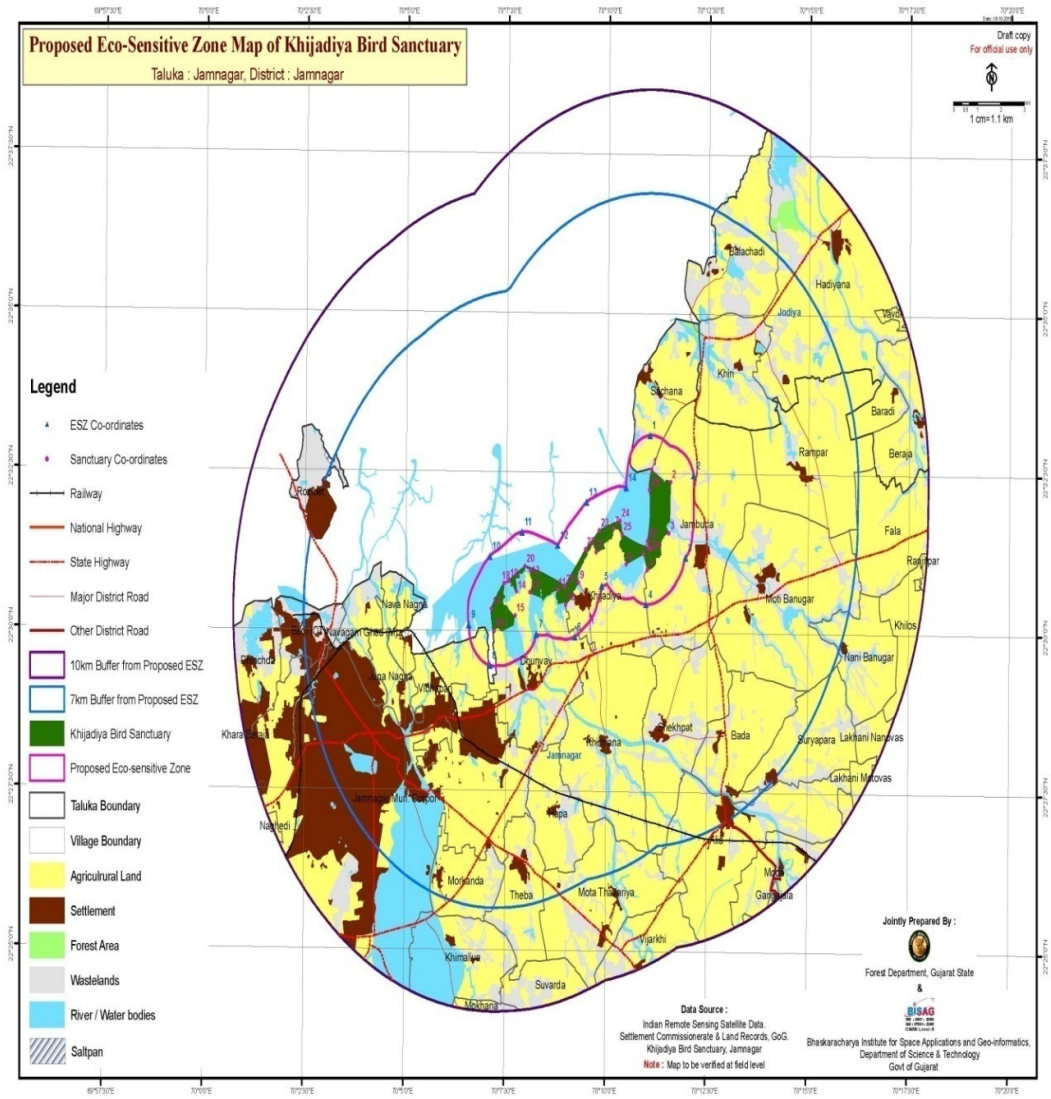

उपाबंध III

सारणी कः खिजादिया पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशातंर

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	22° 32' 34.014" उ	70“ 11' 5.653" पू
2	22° 32' 22.606" उ	70“ 11' 34.313" पू
3	22° 31'34.106" उ	70“ 11’ 31.968" पू
4	22° 30' 59.666" उ	70“ 11' 0.265" पू
5	22° 31' 14.373” उ	70“ 10' 54.392" पू
6	22° 31'4.757" उ	70° 10’ 28.837" पू
7	22“ 31' 38.082" उ	70“ 10' 9.479" पू
8	22“ 31' 15.563" उ	70° 9' 43.897" पू
9	22“ 30' 46.855" उ	70° 9' 17.466" पू
10	22“ 30' 26.042" उ	70“ 8' 58.630" पू
11	22“ 30' 39.789" उ	70“ 8' 46.973" पू
12	22° 30' 37.281" उ	70“ 8' 5.477" पू
13	22“ 30’ 58.225" उ	70“ 8' 5.558" पू
14	22“ 30' 38.019" उ	70° 7' 45.183" पू
15	22“ 30’ 15.445" उ	70“ 7' 43.391" पू
16	22“ 30' 0.332" उ	70“ 7' 12.405" पू
17	22“ 30' 20.980" उ	70“ 7' 7.923" पू
18	22“ 30' 45.419" उ	70“ 7' 26.925" पू
19	22° 30' 47.834" उ	70“ 7' 33.450" पू
20	22“ 31' 1.849" उ	70“ 7' 57.944" पू
21	22“ 30' 43.078" उ	70“ 8' 56.997" पू
22	22“ 31’ 18.204" उ	70“ 9' 27.723" पू
23	22“ 31'35.879" उ	70“ 9’ 48.528" पू
24	22° 31'45.514" उ	70“ 10' 19.122" पू
25	22“ 31' 32.807" उ	70“ 10' 22.246" पू
26	22° 31' 19.794" उ	70“ 11' 5.010" पू
27	22° 31'26.743" उ	70° 11' 0.243" पू
28	22“ 32' 14.693" उ	70“ 11' 2.844" पू

सारणी खः पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशातंर

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	22° 33' 6.435" उ	70° 11' 3.056" पू
2	22° 32'29.226" उ	70° 12' 8.578" पू
3	22° 31' 11.319" उ	70° 11' 56.927" पू
4	22° 30' 27.208" उ	70° 10' 58.284" पू
5	22° 30' 43.913" उ	70° 9' 52.295" पू
6	22° 29'56.120" उ	70° 9' 12.310" पू
7	22° 29'57.913" उ	70° 8' 14.995" पू
8	22° 29' 28.082" उ	70° 7' 6.234" पू
9	22° 30' 6.276" उ	70° 6' 34.153" पू
10	22° 31' 11.027" उ	70° 7' 5.369" पू
11	22° 31' 34.041" उ	70° 7' 53.059" पू
12	22° 31' 22.266" उ	70° 8' 46.406" पू
13	22° 32'2.747" उ	70° 9' 28.826" पू
14	22° 32' 17.002" उ	70° 10' 27.824" पू

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ खिजादिया पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	जमबुदा	22° 31' 26.743" उ;	70° 11' 0.243" पू
2.	धुनवाव	22° 30' 1.675" उ;	70° 7' 10.187" पू
3.	विभापार	22° 29' 54.918" उ;	70° 7' 7.707" पू
4.	सचना	22° 33' 2.200" उ;	70° 11' 22.413" पू
5.	खिजादिया पक्षी	22° 30' 46.824" उ	70° 9' 0.314" पू

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबद्ध में संलग्न करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरे एक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2018

S.O. 2950(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2941(E), the dated 6th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 6th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Khijadiya Bird Sanctuary is a unique wetland eco-system located in 22°32' N, 70° 08' E in Jamnagar district on the southern coast of Gulf of Kutch, of Gujarat state; there are two fresh water lakes (reclamation dam) in the Sanctuary with total area of **0.0605 square kilometer**; the area is separated from the Gulf by a pucca earthen dam in both the segments; the said two lakes are not inter-linked as they are little bit away from each other, and as these lakes are adjacent to Gulf of Kutch Marine National Park and the Sanctuary, and freshwater, marine and estuarine species of micro and macro fauna and flora are found in this region attracting more than 250 species of birds and many other terrestrial fauna in the Sanctuary ;

AND WHEREAS, formerly this area was a sea-coast and marshy revenue waste land of villages Khijadiya, Jambuda and Dhunvav of Jamnagar district and to prevent salinity ingress and to reclaim the land the erstwhile Navnagar State and subsequently the Government of Gujarat constructed a reclamation bund along the coast, which made a remarkable change and improvement in the situation that prevailed in the past as large pond of sweet water has emerged and this supports a variety of natural aquatic vegetation which in turn supports numerous migratory and resident birds in this area and it is also suitable for their roosting and nesting ;

AND WHEREAS, the important herbs from the Khijadiya Bird Sanctuary are Kamal, Poyana (*Nymphaea stellata*), Darudi (*Argemone Mexicana*), Ghandhatu, Dholi Talvani (*Cleome gyanandra),* Pili Tilvan (*Cleome viscose)*, Moti Luni, Lakha Luni (*Portulaca oleacea),* Ganthiyu (*Borreria stricta)*, Parpat (*Oldenlandia sp.*), Shulio, Uthanto(*Echinops echinatus*), Bhangro (Eclipta prostrate), Moti (Lunaea prcumbens), Ubhu Gokharu (Pedalium murex), Harancharo, Paniru (*Lepidagathis trinervis*) etc. While Vevadi (*Cocculus hirsutus*), Valur, Parwatti (*Cocculus pendulus*), Galo (*Tinospora cordifolia*), Khat- Khatumbo (*Cayratia carnosa)* and Kapalphodi (*Cardiospermum halicacabum),* etc. are climbers recorded from the Khijadiya Bird Sanctuary;

AND WHEREAS, various fish species such as Pupfish (*Cyprinodon dispar*), Thread Fin (*Polynemus tetradactylus*), Mud skipper (*Boleophthalmus dentatus*), Mullet (*Mugil carinatus*) and Mullet (*Mugil oligolepis*), etc. are also found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, the wetland eco-system of Khijadiya is a wintering ground for migratory waterfowls from Palacarcitic region and serves as an important wintering and breeding ground for many species of wetland birds; and an uncommon breeder in India, Great crested grebe, (*Podiceps cristatus*), Black-necked Grebe (*Podiceps nigricollis*), Great Crested Grebe (*Podiceps cristatus),* Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis),* Dalmatian Pelican (*Pelecanus crispus)* and Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus),* Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*), Eurasian Spoonbill (*Platalea leucorodia*), Greater Flamingo (*Phoenicopterus ruber*), Lesser Flamingo (*Phoenicopterus minor*), Comb Duck(*Sarkidiornis melanotos*), Eurusian Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*), Eursasian Sparrow Hawk (*Accipiter nisus*), Oriental Honey Buzzard (*Pernis ptilorhynchus*), Osprey (*Pandion haliaetus*), Shikra (Accipiter Collared Pratincole (Glareola pratincola), Small Pratincole (Glareola lacteal), Black-headed Gull (Larus redibundus), Eurasian Cuckoo (*Cuculus canorus*), Pied Cuckoo (*Clamator jacobinus*), Asian Koel (*Eudynamys scolpacea*), Greater Coucal (Centropus sinensis), Sirkeer Malkoha (Phaenicophaeus leschenenaultii), Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla), Indian Bush Lark (*Mirafra erythroptera*), Rafous-tailed Lark (*Calandrella deva*), Sand Lark (*Calandrella raytal*), Oriental Sky Lark (*Alauda gulgula*), Common Babbler (*Turdoides caudatus*), Indian Robin (*Saxicoloides fulicata cambaiensis*), Oriental Magpie Robin(*Copsychus saularis*), Desert Wheatear (*Oenanthe deserti*), Isabelline Wheatear (*Oenanthe isabellina*), etc. are reported the said Sanctuary;

AND WHEREAS, the Globally threatened bird species from the Khijadiya Bird Sanctuary are Dalmatian Pelican (*Pelecanus crispus*), Darter (*Anhinga melanogaster*), Painted Stork (*Mycteria leucocephala*), Black-necked Stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*) and Black-headed Ibis (*Threskiornis melanocephalus*), etc;

AND WHEREAS, Khijadiya reclamation bund was constructed by the Princely State of Navanagar and Government of Gujarat in 1956 and on realising the importance of the area for the vivid and numerous migratory as well as resident birds, the Government of Gujarat declared this area as Bird Sanctuary vide Government notifications No. AKH-81-WLP-1081-102123/P-2, dated the 27th May, 1981 and AKH-209/82-WLP/1081/102123-V-2, dated the 6th November, 1982;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Khijadiya Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of the said protected area, reintroduction and rehabilitation of local species, promotion of environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) , read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto one kilometer from the boundary of the Khijadiya Bird Sanctuary in the State of Gujarat as the Khijadiya Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

(1) **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area of 16.6119 square kilometres with an extent upto one kilometre from the boundary of Khijadiya Bird Sanctuary.

(2) The boundary description of Khijadiya Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IIA, Annexure-II B and Annexure-II C.**

(4) The Geo-coordinates of Khijadiya Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III.**

(5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication this final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government:—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in the Table in paragraph para 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-(a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilo meter from the boundary of the Khijadiya Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new

hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and as amended from time to time..

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by

the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. Prohibited regulated and promoted activities.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining.	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad

		Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) no new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.

		(d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws(underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated, for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned Authority.
24.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.

28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification, comprising of the following, namely:-

S. No.	Members of Monitoring Committee	Designation
1	Collector, Jamnagar district	Chairman;
2	A representative of Urban Development Department, Government of Gujarat	Member;
3	A representative of Port and Transport Department, Government of Gujarat	Member;
4	A representative of Non-Governmental Organisations working in the field of natural conservation (including heritage conservation)to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of three year)	Member;
5	One expert in the area Ecology and Environment to be nominated by the Government of Gujarat for a period of three year	Member;
6	Regional Officer of the State Pollution Control Board	Member;
7	Representative of Department of Environment, Government of Gujarat	Member;
8	Concerned Deputy Conservator of Forest, Jamnagar	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures:-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders:- The provisions of this notification subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/90/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE KHIJADIYA Bird SANCTUARY

North :- Survey nos. 159, 160, 161, 41, 34, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 212pt, 340, 342, 345, 346, 347, 348, 334, 330, 329, 328, 327 of village Dhunvav, Survey nos. 51, 52, 73, 72, 70, 83 of village Jambuda,

Survey nos. 136, 132, 122, 140, 139, 143pt, 5, 7, 147, 148, 149, 150, Rasto, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 of village Khijadiya Bird, Survey nos. 142, 37, Road of village Sachana, Boundary of village Jamnagar towards Vibhapar village of Jamnagar Taluka of Jamnagar District.

East :- Boundary of village Khijadiya Bird towards and Survey nos. 349, 350, 351, 353, 358, 359, 367, 368 of village Dhunvav, Survey nos. 85, 82, 86, 150, 151, 152, 18, 26, 11, 10, 8, 7, 339, 338, 330, 336, 333, 317, 316, 314 of village Jambuda,

Survey nos. 27, 28, 29, 50pt of village Khijadiya Bird, Survey nos. 70, 69, 73, 66 of village Sachana, Boundary of village Jamnagar and Dhunvav towards Vibhapar village of Jamnagar Taluka of Jamnagar District.

South :- Survey nos. 368, 367, 366, 360, 356, 292, 306, 307, River, 218, 219, 26, 25, 24, 67, 72, 73, 48, 161, 124, 123, 125, 142, 144, 140 of village Dhunvav, Survey nos. 314, 263, 261, 269, 270, 271, 288, 286 of village Jambuda, Survey nos. 129, 104, 127, 110, 111, 116, 37, 39, 38, 35, 34, 45, 44, 49, 152, 65, 66, 63, 62, 59 of village Khijadiya Bird, Survey nos. 65, 66, 64, 63 boundary of

village Jambuda towards Sachana village, boundary of village Jamnagar towards Vibhapar village of Jamnagar Taluka of Jamnagar District.

West :- Boundary of Jamnagar city towards Dhunvav village, coastal boundary of village Jambuda, Khijadiya Bird and Sachana towards Jambuda village, boundary of village Dhunvav towards Khijadiya Bird village, Coastal boundary of village Sachana, Survey nos. 131, 132, 133, 123, 124, Voklo, 105 of village Vibhapar Jamnagar Taluka Jamnagar District.

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF KHIJADIYA BIRD SANCTUARY ALONG WITH DISTRICT BOUNDARIES

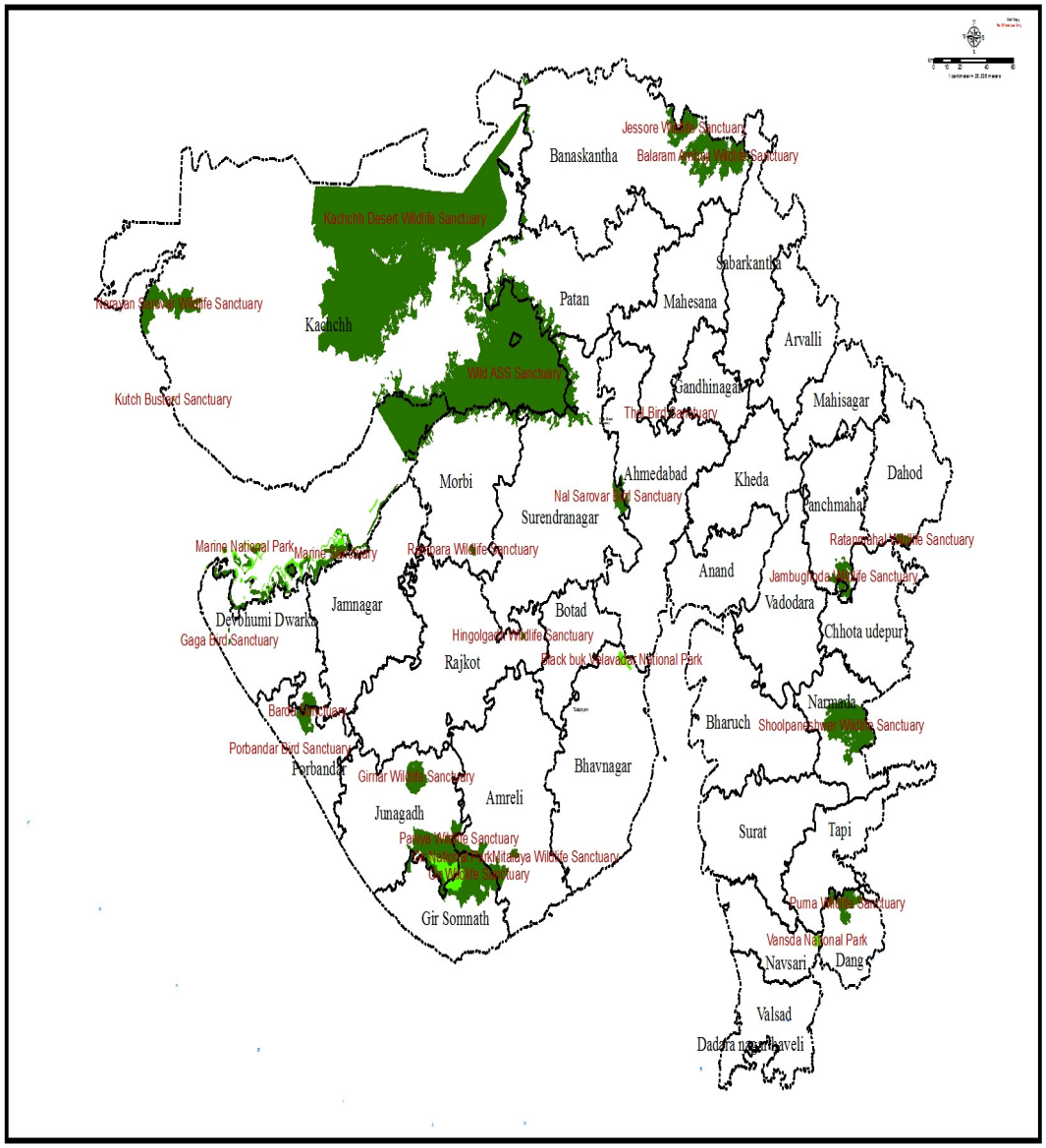

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KHIJADIYA BIRD SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER

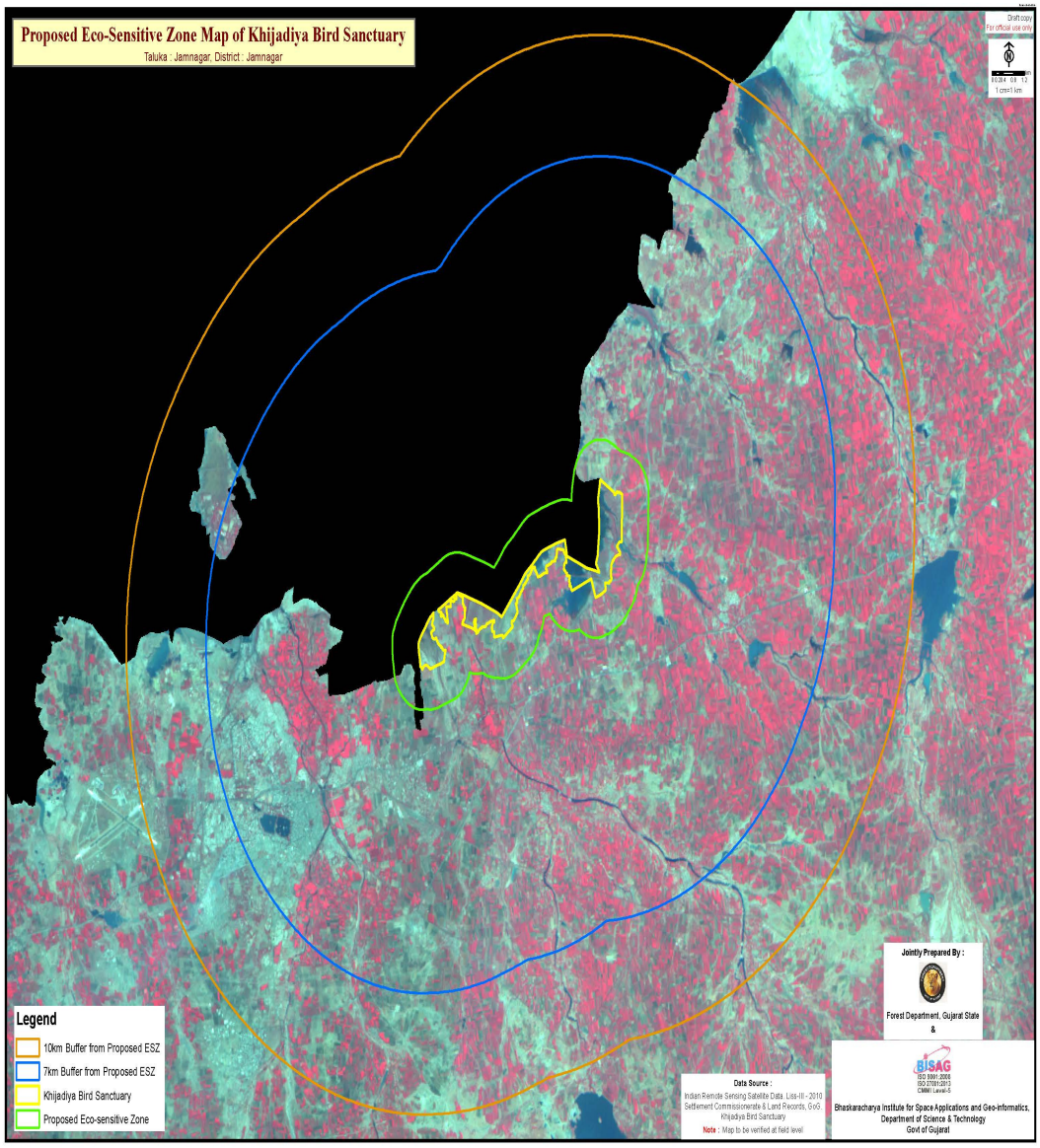

ANNEXURE- IIC

LAND USE MAP OF KHIJADIYA BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

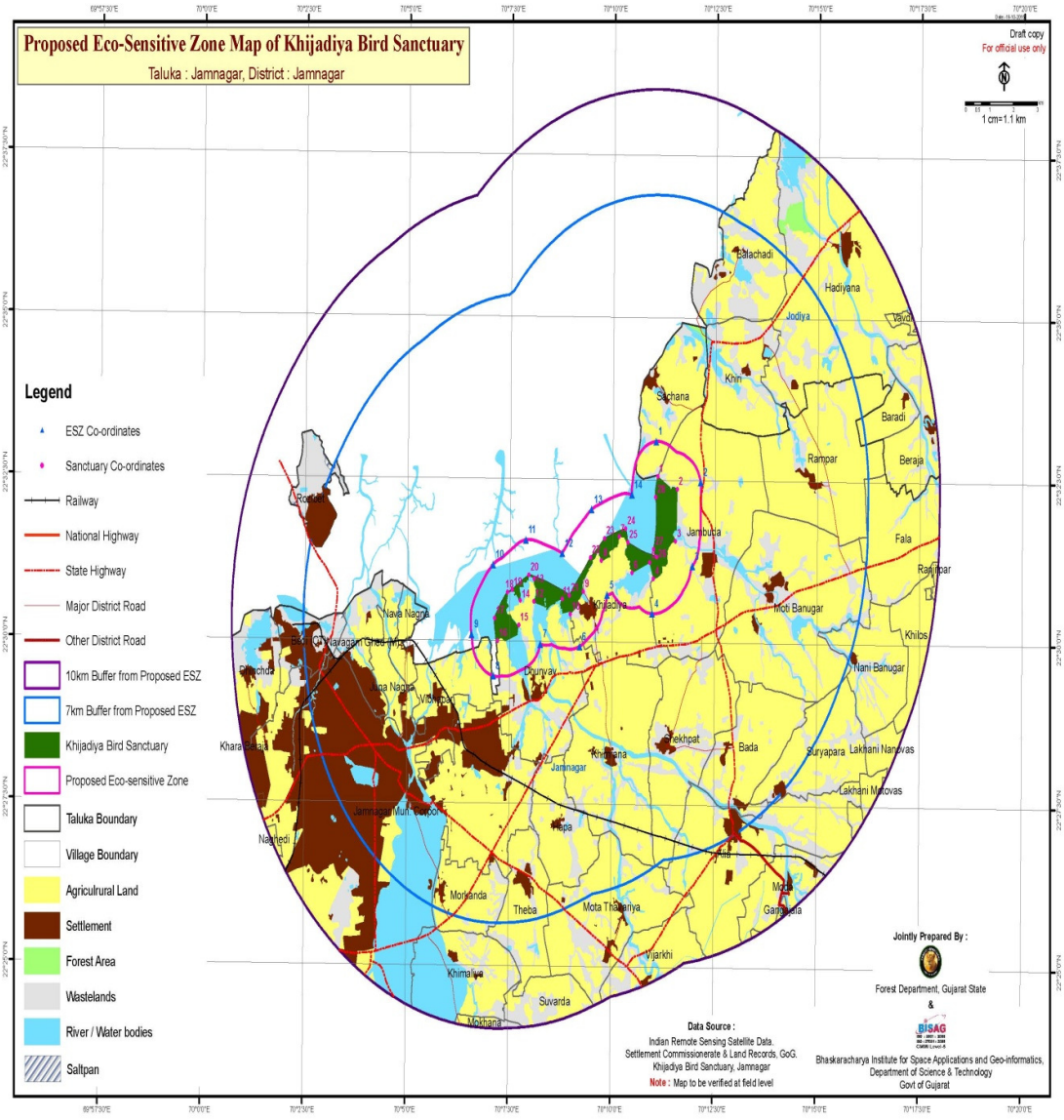

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Khijadiya Bird Sanctuary

Sr. No.	Latitude	Longitude
1	22° 32' 34.014" N	70“ 11' 5.653" E
2	22° 32' 22.606" N	70“ 11' 34.313" E
3	22° 31'34.106" N	70“ 11’ 31.968" E
4	22° 30' 59.666" N	70“ 11' 0.265" E
5	22° 31' 14.373” N	70“ 10' 54.392" E
6	22° 31'4.757" N	70° 10’ 28.837" E
7	22“ 31' 38.082" N	70“ 10' 9.479" E
8	22“ 31' 15.563" N	70° 9' 43.897" E
9	22“ 30' 46.855" N	70° 9' 17.466" E
10	22“ 30' 26.042" N	70“ 8' 58.630" E
11	22“ 30' 39.789" N	70“ 8' 46.973" E
12	22° 30' 37.281" N	70“ 8' 5.477" E
13	22“ 30’ 58.225" N	70“ 8' 5.558" E
14	22“ 30' 38.019" N	70° 7' 45.183" E
15	22“ 30’ 15.445" N	70“ 7' 43.391" E
16	22“ 30' 0.332" N	70“ 7' 12.405" E
17	22“ 30' 20.980" N	70“ 7' 7.923" E
18	22“ 30' 45.419" N	70“ 7' 26.925" E
19	22° 30' 47.834" N	70“ 7' 33.450" E
20	22“ 31' 1.849" N	70“ 7' 57.944" E
21	22“ 30' 43.078" N	70“ 8' 56.997" E
22	22“ 31’ 18.204" N	70“ 9' 27.723" E
23	22“ 31'35.879" N	70“ 9’ 48.528" E
24	22° 31'45.514" N	70“ 10' 19.122" E
25	22“ 31' 32.807" N	70“ 10' 22.246" E
26	22° 31' 19.794" N	70“ 11' 5.010" E
27	22° 31'26.743" N	70° 11' 0.243" E
28	22“ 32' 14.693" N	70“ 11' 2.844" E

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Sr.No.	Latitude	Longitude
1	22° 33' 6.435" N	70° 11' 3.056" E
2	22° 32’29.226" N	70° 12' 8.578" E
3	22° 31' 11.319" N	70° 11' 56.927" E
4	22° 30' 27.208" N	70° 10' 58.284" E
5	22° 30' 43.913" N	70° 9' 52.295" E
6	22° 29'56.120" N	70° 9' 12.310" E
7	22° 29'57.913" N	70° 8' 14.995" E
8	22° 29' 28.082" N	70° 7' 6.234" E
9	22° 30' 6.276" N	70° 6' 34.153" E
10	22° 31' 11.027" N	70° 7' 5.369" E
11	22° 31' 34.041" N	70° 7' 53.059" E

12	22° 31' 22.266" N	70° 8' 46.406" E
13	22° 32'2.747" N	70° 9' 28.826" E
14	22° 32' 17.002" N	70° 10' 27.824" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KHIJADIYA BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.N.	Name of village	Latitude	Longitude
1.	Jambuda	22° 31' 26.743" N;	70° 11' 0.243" E
2.	Dhuvav	22° 30' 1.675" N;	70° 7' 10.187" E
3.	Vibhapar	22° 29' 54.918" N;	70° 7' 7.707" E
4.	Sachana	22° 33' 2.200" N;	70° 11' 22.413" E
5.	Khijadiya Bird	22° 30' 46.824" N	70° 9' 0.314" E

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.20 22:46:20 +05'30'